बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

संख्या– प्र02/ल0ज0सं0/बजट/संविदा सेवा-07/26-~~218~~ 223 /पटना, दिनांक– 05/08/2026

प्रेषक,

E-Mail

राजीव कुमार झा
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता (मु0) उड़नदस्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।
कार्यपालक अभियंता, ल0सिं0प्र0, सुपौल/बांका/गया जी/मधेपुरा /अररिया/ दरभंगा/ नालंदा /किशनगंज ।

विषय– वित्तीय वर्ष 2026-27 में संविदा सेवाऐ इकाई अन्तर्गत अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा संविदा पर नियुक्त कर्मियों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में लघु सिंचाई स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत ***संविदा सेवाऐ*** इकाई में निम्न वर्णित कार्यालयों को **कुल-40.864 लाख (चालीस लाख छियासी हजार चार सौ) रूपये मात्र** का अतिरिक्त आवंटन दिया गया है:-

(राशि लाख रूपये में)

क्र0	कार्यालय का नाम	पूर्वांटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5
1	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सुपौल	1.500	**2.557**	4.057
2	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका	4.460	**8.396**	12.856
3	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया जी	3.430	**6.272**	9.702
4	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मधेपुरा	5.060	**4.125**	9.185
5	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, अररिया	2.760	**4.770**	7.530
6	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, दरभंगा	1.410	**2.631**	4.041
7	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालन्दा	4.600	**4.241**	8.841
8	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, किशनगंज	2.570	**4.764**	7.334
9	अधीक्षण अभियंता (मु0), उड़नदस्ता, लघु जल संसाधन विभाग ।	4.600	**3.108**	7.708
	कुलः-	**30.390**	**40.864**	**71.254**

2. वित्तीय वर्ष-2026-27 में आवंटित राशि का व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :–

I	अनुदान माँग संख्या–	:	50
II	मुख्य शीर्ष–	:	2702-लघु सिंचाई
III	उप मुख्य शीर्ष–	:	02-भू-जल
IV	लघु शीर्ष–	:	005-अन्वेषण
V	उप शीर्ष–	:	0001-सर्वेक्षण एवं जाँच
VI	*विपत्र कोड–*	*:*	***50-2702020050001***
VII	***विषय शीर्ष***	*:*	***28.02–संविदा सेवाएँ***

3. आवंटित राशि बजट में उपबन्धित राशि के सीमाधीन है । किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाय ।

4. आवंटित राशि से भुगतान वास्तव में देय होने पर नियमानुसार ही किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

5. आवंटित राशि से बकाया भुगतान नियमानुसार किया जाय, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

6. आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोनों की होगी ।

7. आवंटित राशि की निकासी संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता /संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी ।

8. उक्त आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी ।

9. उक्त आवंटन राशि के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

10. व्यय प्रतिवेदन विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय ।

11. उक्त आवंटन आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

05/8/26

(राजीव कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या ~~212~~ 223 /पटना, दिनांक-05/08/2026

E-mail

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, लघु जल संसाधन विभाग/अपर सचिव/उप सचिव/अभियंता प्रमुख/आई0 टी0 मैनेजर, आई०टी० कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/अधीक्षण अभियन्ता(मु0) अनुश्रवण, पटना/ महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

05/8/26

सरकार के संयुक्त सचिव